राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 149/2013

प्रह्लाद राय शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. आयुक्त/निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा), चुरू।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), चुरू।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 20.05.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री सी पी त्रिवेदी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए एवं अपने कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति की तिथि से परिलाभ प्राप्त करने का अनुतोष चाहा है।
2. अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर वर्ष 1985 हुई। अपीलार्थी ने विभाग की अनुमति उपरान्त प्रथमा परीक्षा (माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष) वर्ष 1984 में उत्तीर्ण की तथा प्रमाण–पत्र सर्विस बुक में इंद्राज करवाया। इस प्रकार अपीलार्थी कनिष्ठ लिपिक के पद के पदोन्नति के लिए अर्हता रखता है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए कई बार अभ्यावेदन प्रस्तुत किए परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि उससे कनिष्ठ कार्मिकों जैसे इकबाल खान, रमेश चन्द्र शर्मा विक्रम सिंह इत्यादि को प्रथमा याग्यता अर्जित करने पर कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एवं माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में समक्ष दायर अपीलों के निर्णय के पश्चात् प्रथमा एवं मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण योग्यता अर्जित ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नती का लाभ प्रदान किए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। अतः

अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावें कि अपीलार्थी ने कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए एवं अपने कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति की तिथि से परिलाभ प्रदान करने के आदेश फरमाया जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से अपील में लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1985 में चतुर्थ श्रेणी के पद पर हुई थी तथा प्रथमा परीक्षा वर्ष 1984 में उत्तीर्ण की तथा अपीलार्थी ने दिनांक 03.12.2012 तक अपनी इस योग्यता की प्रति विभाग में जमा नहीं करवाई जिस कारण उसका नाम डीपीसी में नहीं जोड़ा गया। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमायी जावे।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी की तरफ से यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के स्वयं के अनुरोध एवं न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम प्राधिकारी को इस अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/ नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश ‘ैचमांपदह व्तकमत) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दें। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय लिखित प्रार्थना पत्रों के उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य